



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48684

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8776 वर्ष 2026

इकबाल उर्फ इकबाल अहमद

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अंकुर राय, विकल्प कुमार राय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विकल्प कुमार राय, प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 और 5 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना।
2. याची ने वर्तमान याचिका प्रत्यर्थियों को प्रश्नगत भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निदेश देने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है।
3. रिट याचिका में अंतर्विष्ट संक्षेप में तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत आरंभ की गई कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2022 के विरुद्ध याची द्वारा दिनांक 02.02.2026 को प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ एक वैधानिक अपील, जो कि अपील संख्या 404/ए वर्ष 2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202615000000260) है, दाखिल की गई है। चूंकि अपील दाखिल करने में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर्याप्त विलंब हुआ है, अतः विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अवैध है, इसलिए, अपील को ग्रहण किया जाना चाहिए और याची यथास्थिति का हकदार है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को यह निदेश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम अपने समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। यदि विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को आगे यह निदेश दिया जाता है कि वे तत्पश्चात तीन सप्ताह की अवधि के भीतर स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा मामले को गुणागुण के आधार पर निर्णीत नहीं किया गया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 10, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।